फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 22.09.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर महोदया **ऐश्वर्या उपाध्याय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 199/24 धारा 103/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण को हत्या की घटना में प्रयोग में लायी गयी बोलेरो के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1.नन्हे उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र श्री कृष्ण जाटव निवासी ग्राम नगला भूड़ थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ

2.राजीव पुत्र हंसराज निवासी नेकपुर खुर्द थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ

3.शिवम पुत्र विपिनचन्द्र शाक्य निवासी ग्राम अर्रापहाड़पुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ

घटना का संक्षिप्त विवरणः दिनांक 26.08.2024 को सीएचएसी बरौन थाना मऊदरवाजा से फौती सूचना प्राप्त हुयी कि सीपी इन्टरनेशनल स्कूल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है उक्त फौती सूचना पर थाना स्थानीय से पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी तथा अज्ञात मृत व्यक्ति की शिनाख्त ग्रीश चन्द्र पुत्र श्री अशोक कुमार उम्र करीब 30 वर्ष ग्राम अर्रापहाड़पुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ के रूप में की गयी । पोस्टमार्टम की कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 19.09.2024 को अशोक कुमार उपरोक्त ने थाना मऊदरवाजा पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 25.08.2024 को उसका पुत्र ग्रीश चन्द्र शाम के करीब 4 बजे घर से बिना बताये ग्राम नगला भूड़ के नन्हे पुत्र श्री कृष्ण जाटव के साथ कहीं गया था तथा उसके बाद से उसका मो0नं0 बन्द जा रहा था एवं उसका पुत्र वापस घर नही आया । दिनांक 26.08.2024 को उसे उसके पुत्र की मृत्यु की सूचना थाना मऊदरवाजा से प्राप्त हुई तथा पुत्र के शव के शिनाख्त के उपरान्त उसे पता चला कि उसकी पुत्रवधु के सम्बन्ध ग्राम नेकपुर खुर्द के राजीव पुत्र हंसराज के साथ थे तथा नन्हे पुत्र श्रीकृष्ण उपरोक्त दोनो आपस में घनिष्ठ मित्र थे। जिनके द्वारा पुत्रवधु से अवैध सम्बन्ध के चलते साजिश करके अपने अन्य 02 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसके पुत्र ग्रीश चन्द्र की हत्या करके उसका शव स्कूल के पास फेंक दिया गया है ।

उक्त सूचना पर दिनांक 19.09.2024 को ही थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 199/24 धारा 103/61(2) बीएनएस बनाम 1. नन्हे उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र श्री कृष्ण जाटव निवासी ग्राम नगला भूड़ थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ 2.राजीव पुत्र हंसराज निवासी नेकपुर खुर्द थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ 3. प्रियंका शाक्य पत्नी स्व0 ग्रीश चन्द्र निवासी अर्रापहाड़पुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ व 02 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । जिनकी गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस लगातार जगह-जगह दबिश दे रही थी उसी क्रम में आज दिनांक 22.09.2024 को मुखबिर खास से सूचना मिली कि ग्रीशचन्द्र की हत्या करने वाले अभियुक्तगण एक बोलेरो नं0 UP 76 U 8894 से शहर से बाहर भागने की फिराक में है, उक्त सूचना पर थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगणों को बुलेरो नं0 UP 76 U 8894 सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

पूछताछ विवरण अभियुक्तगण उपरोक्तः-

अभियोग में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक साथ अपने जुर्म का इकबाल करते हुये अपने जुर्म की माफी मांगते कहा कि माफ कर दें। अब जब पुलिस ने हमें ग्रीशचन्द्र की हत्या मे पकड़ ही लिया है तो जो भी कहना होगा वो अपने वकील के जरिये माननीय न्यायालय में कहेगें ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नन्हे उर्फ धर्मेन्द्र उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 199/24 धारा 103/61(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजीव उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 199/24 धारा 103/61(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवम उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 203/2021 धारा 188/270 भादवि व 3 महामारी अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 199/24 धारा 103/61(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

बरामद माल का विवरणः-

1. बोलेरो नं0 UP 76 U 8894 (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिसः

1. प्र0नि0 श्री भोलेन्द्र चतुर्वेदी
2. उ0नि0 श्री नर सिंह
3. आ0 अभिषेक
4. आ0 मुनवेन्द्र
5. आ0 विपिन

मीडिया सेल फतेहगढ़